रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय
(ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई रेल लाईन परियोजना)
Office of Chief Project Manager
(Rishikesh-Karanprayag New BG Rail Line Project)
RVNL Office Building, Opp. GST Bhavan, Next to GMVN, Shyampur
Bypass Road, Rishikesh - 249201
Email: rvnlrksh1@gmail.com, Tel: +91-135-2432008

RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/ 153 **Dated: 17.07.2023**

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड

विषय:- जनपद -रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 126 कि 0 मी 0 ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त 0.4769 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि 0 को प्रत्यावर्तन। (Online No .FP/UK/RAIL/148843/2021)

सन्दर्भ:- 1. सहायक महानिरीक्षक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8 बी./यू 0 सी 0 पी 0 /07 /28 / 2022 /एफ.सी./1813 दिनांक 16. 03. 2023 ।

2. आपका पत्रांक - 3262 /12 -1 (2) रुद्रप्रयाग दिनांक 03. 04. 2023 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें संदर्भित पत्र संख्या -1 के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना हेतु सैद्धान्तिक /सैधांतिक स्वीकृति शर्तो के साथ प्रदान की गयी है तथा आपके पत्र के माध्यम से आवश्यक धनराशि एवं शर्तो को इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया है। सन्दर्भित पत्र संख्या -1 एवं 2 में उल्लेखित शर्तो की आख्या निम्न्वत प्रेषित की जा रही है:

क्र0 सं0	निर्धारित शर्ते /आपत्तियां	अनुपालन /शर्तो का निराकरण
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	अनुपालन किया जायेगा एवं दोगुनी अवक्रमित वन भूमि (Degraded Forest Land) पर प्रतिपूरक वनीकरण कराने हेतु कैम्पा फंड में देय राशि जमा करा दिया गया हैं।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवनत वन भूमि, जाखाल क0 सं0 5 पर 1180 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा **प्रतिपूरक वनीकरण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।** (ख) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0 एम्0 एल0 फाइल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0 एम0 सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0 एल0 एम0 पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणो के साथ ई -ग्रीन वॉच पोर्टल अपलोड किया जाएगा।	आपके पत्रांक -3262/12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक 03.04. 2023 के माध्यम से शर्त संख्या 3 (क) एवं 4 के अनुपालन में **रु0 5,29,573.00 (पांच लाख, उन्तीस हज़ार, पांच सौ तिहतर)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 19. 05. 2023 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न)
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और	आपके पत्रांक -3262 /12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक 03.04. 2023 के माध्यम से शर्त संख्या 3 (क) एवं 4 के अनुपालन में **रु0 5,29,573.00**

	स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	**(पांच लाख, उन्तीस हज़ार, पांच सौ तिहतर)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 19. 05. 2023 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न)
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस संबंध में भारत के सर्वोच्य न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04. 2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ. सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 - एफ. सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5-3 /2007 -एफ. सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **0.4769** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	आपके पत्रांक -3262 /12 -1(2) रुद्रप्रयाग दिनांक 03.04. 2023 के माध्यम से शर्त संख्या 5 (क) के अनुपालन में **रु0 6,16,560.00 (छ: लाख, सोलह हज़ार, पांच सौ साठ)** की धनराशि की मांग की गई थी, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा देय राशि दिनांक 19. 05. 2023 को जमा करा दी गई है (प्रतिलिपि संलग्न) शपथ-पत्र संलग्न।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 82 वृक्षों तथा 36 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रवंधन और और योजना प्राधिकरण फंड में स्थान्तरित /जमा किये जायेंगे।	अनुपालन किया गया है। निर्धारित धनराशि ई -पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से दिनांक 19.05. 2023 को जमा करवा दी गयी है (संलग्न)।
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण -पत्र के माध्यम से किया जाएगा।	अनुपालन कर आख्या को परिवेश पोर्टल पर अपलोड एवं हार्ड कॉपी के माध्यम से जमा करा दिया गया है।
9	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पाँचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature Plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	अनुपालन किया जाएगा।
10	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	अनुपालन किया जाएगा।
11	नोडल अधिकारी, State Campa यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।	अनुपालन किया जाएगा।
12	राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।	अनुपालन किया जाएगा।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति लागू नहीं होती है।
14	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य	अनुपालन किया जाएगा एवं मजदूरों हेतु वैकल्पिक ईंधन की पूर्ति उपलब्ध कराई

	क़ानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	जाएगी।
17	संबंधित मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backwardbearings अंकित हो।	अनुपालन किया जाएगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु ही किया जाएगा। अतः अनुपालन किया जाएगा।
20	केंद्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	अनुपालन किया जाएगा।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017 - FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	उपरोक्त सभी शर्तो का पालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण रूप से किया जाएगा।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व् विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हेतु जो भी शर्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाएँगी, उनका प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि नही किया जायेगा।	प्रत्यावर्तन हेतु चयनित स्थल से उत्सर्जित मलवे को पुर्व में अधिकृत मलवे स्थान (मक डंपिंग यार्ड) पर ही किया जायेगा। अतः अनुपालन किया जाएगा।
24	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	अनुपालन किया जाएगा।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (Https://parivesh.nic.in पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन किया जाएगा।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी शर्तों के सम्बन्ध में वांछित आख्या (मूल +04 प्रतिलिपि) आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः आप से अनुरोध है कि प्रकरण को विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति की प्रक्रिया आरम्भ की जा सके।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय

अजीत सिंह यादव
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि 0
ऋषिकेश -कर्णप्रयाग रेल परियोजना

मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय
(ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई रेल लाईन परियोजना)
Office of Chief Project Manager
(Rishikesh-Karanprayag New BG Rail Line Project)
RVNL Office Building, Opp. GST Bhavan, Next to GMVN, Shyampur
Bypass Road, Rishikesh - 249201
Email: rvnlrksh1@gmail.com, Tel: +91-135-2432008

शपथ -पत्र

विषय:- जनपद -रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 126 कि 0 मी 0 ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त 0.4769 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि 0 को प्रत्यावर्तन। (Online No .FP/UK/RAIL/148843/2021)

सहायक महानिरीक्षक (वन), पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय , देहरादून का पत्रांक 8 बी./यू 0 सी 0 पी 0 /07 /28 / 2022 /एफ.सी./1813 दिनांक 16. 03. 2023 द्वारा वर्णित क्र. सं. 5 (ख) में उल्लेखित, "विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त शर्त का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

अजीत सिंह यादव
मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि 0
ऋषिकेश -कर्णप्रयाग रेल परियोजना

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- **moef.ddn@gov.in**

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/07/28/2022/एफ.सी. 11813 दिनांकः 16/03/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद– रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 किमी. ऋषिकेष–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 0.4769 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन। **(Online No. FP/UK/RAIL/148843/2021)**

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – **2504/FP/UK/ RAIL/148843/2021** दिनांक **19-04-2022**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 30.08.2022 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरांत केन्द्र सरकार– **जनपद– रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 किमी. ऋषिकेष–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 0.4769 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवनत वन भूमि, जाखाल कक्ष सं0 5 पर 1180 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा **प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।**
   ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.4769 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 82 वृक्षों तथा 36 saplings से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

9. **नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।**

10. **वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नही बदलेगें।**

11. **नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।**

12. **राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।**

13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

17. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

2/3 contd..

22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

16.3.23
(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

R.No. 173
10/04/2023

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता -: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 3262 / 12-1(2) दिनांक 03 / 4 / 2023::

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
रेल विकास निगम लि0,
ऋषिकेश।

विषय :- **जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 कि0मी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु अतिरिक्त 0.4769 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि0 को प्रत्यावर्तन।**
PROPOSAL NO.- FP/UK/RAIL/148843/2021

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी. / यू.सी.पी. / 07 / 28 / 2022 / एफ.सी. / 1813 दिनांक 16.03.2023।

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में जमा की जाने वाली धनराशियों का डिमांड नोट निम्न प्रकार प्रेषित है-

(1) **शर्त संख्या-3(क) एवं 04** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अवनत वन भूमि जाखाल क0 सं0-5 पर 1180 पौधों का रोपण कार्य एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1459 / 3-5-2 दिनांक 01.07.2021 के अनुसार वसूली वर्ष 2023-24 हेतु देय दर 4,48,791.00 के अनुसार रुपये 1.180 @ 4,48,791.00 = **5,29,573.00 (पांच लाख, उन्तीस हजार, पांच सौ तिहतर)** मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

(2) **शर्त संख्या-5(क)** के अनुपालन में ऑनलाईन भरे गये प्रपत्र-भाग-2 के अनुसार प्रशनगत क्षेत्र इको क्लास-V के अन्तर्गत घनत्व 0.4 (40 प्रतिशत) है, तद्नुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या-5-3 / 2011-एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित दरों के अनुसार रुपये 0.4769 ha. @ 12,92,850.00/ha. = **6,16,560.00 (छः लाख, सोलह हजार, पांच सौ साठ) मात्र की धनराशि** जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित की गई धनराशियों को उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् धनराशि कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त भारत सरकार के उक्त पत्र में **उल्लिखित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या कॉलमवार / बिन्दुवार मय संलग्नक ऑनलाईन / ऑफलाईन (01 मूल + 03 कलर प्रति) चार प्रतियों में** शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या- / दिनांकित।
प्रतिलिपि 1:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि 2:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-05-2023

Agency Name.	CPM RISHIKESH OFFICE RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
Application No.	59148843347
MoEF/SG File No.	8B/UCP/07/28/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	RVNL Office Building, Opposite GST Bhawan, Next to GMVN, Shyampur Bypass Road, RishikeshDehradun
Amount(in Rs)	1146133/-

Amount in Words :Eleven Lakh Forty-Six Thousand One Hundred and Thirty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508959148843347 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-05-2023

Agency Name.	CPM RISHIKESH OFFICE RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
Application No.	59148843347
MoEF/SG File No.	8B/UCP/07/28/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	RVNL Office Building, Opposite GST Bhawan, Next to GMVN, Shyampur Bypass Road, Rishikesh Dehradun
Amount(in Rs)	1146133/-

Amount in Words :Eleven Lakh Forty-Six Thousand One Hundred and Thirty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508959148843347 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/RAIL/148843/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/RAIL/148843/2021) Development of 126 Km Long Rishikesh- Karnprayag New BG Rail Link in the State of Uttarakhand - Additional Land at Nagrasu	RAIL1488432021347	59148843347	16 Mar 2023	**CA:** 529573/-, **Addl CA:** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA:** 0/- **NPV:** 616560/-, **Other Charges:** 0/- **Other Charges1:** 0/- **Other Charges2:** 0/- **Other Charges3:** 0/- **Total :** 1146133/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 11 May 2023 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 02 Jun 2023 **Transaction Date** : 19 May 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/270420231254339837_FPUKRAIL148843 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=RAIL148
2	FP/UK/RAIL/148884/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/RAIL/148884/2021) Development of 126 Km Long Rishikesh- Karnprayag New BG Rail Link in the State of Uttarakhand - Additional Civil Soyam Land at Sirobgarh Village	RAIL1488842021375	59148884375	31 Aug 2022	**CA:** 1370853/-, **Addl CA:** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA:** 0/- **NPV:** 2171988/-, **Other Charges:** 0/- **Other Charges1:** 0/- **Other Charges2:** 0/- **Other Charges3:** 0/- **Total :** 3542841/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 16 Nov 2022 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 16 Nov 2022 **Transaction Date** : 19 May 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/151120221342554335_FPUKRAIL148884 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=RAIL148
3	FP/UK/RAIL/148846/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/RAIL/148846/2021) Development of 126 Km Long Rishikesh- Karnprayag New BG Rail Link in the State of Uttarakhand - Additional Land at Ratura	RAIL1488462021995	59148846995	30 Aug 2022	**CA:** 1187257/-, **Addl CA:** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA:** 0/- **NPV:** 1881097/-, **Other Charges:** 0/- **Other Charges1:** 0/- **Other Charges2:** 0/- **Other Charges3:** 0/- **Total :** 3068354/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 09 Nov 2022 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 15 Nov 2022 **Transaction Date** : 22 Nov 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/051120221341270314_FPUKRAIL148846 Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=RAIL148

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) Power To Empower (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN) Open Government Data (OGD) Platform India
(HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in The national portal of India (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) MeitY
(HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) NIC (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

AXIS BANK

Statement of Account No : 919020084954180

Tran Date	Value Date	CHQNO	Transaction Particulars	Amount(INR)	DR|CR	Branch Name
19-05-2023	19-05-2023	-	RTGS/UTIBR72023051900042790/0006010538RVNL2023/UT	11,46,133.00	DR	RISHIKESH [UT]